न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51/2018 (उदयपुर डिक्री)

सवला पिता रोड़ा गाडरी, निवासी बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती धूली पुत्री नारायण पत्नी बालूराम गाडरी, निवासी बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गंगा बेवा बाबरिया गाडरी, निवासी बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती डाकू पुत्री बाबरिया पत्नी तुलसीराम गाडरी, निवासी सिंहाडा, हाल बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. चतरलाल पिता तुलसीराम गाडरी, निवासी बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. नरेन्द्र कुमार पिता त्रिलोकचन्द सिंघवी जैन, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 01.07.2016, प्र. सं. 95/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मानाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30—08—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डबोक में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें बाबरिया पिता सवा का 1/2 हिस्सा, नारायण, सवला पिता रोड़ा का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। नारायण की मृत्यु होकर उसकी एक मात्र जाईन्दा पुत्री वादिया होकर नारायण जी की भूमि पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग करती नही आ रही है, लेकिन नारायण की मृत्यु होने पर सवला पिता रोडा प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायण की कोई पुत्री नहीं होना बताकर अपने नाम दर्ज करा ली है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 1235 दिनांक 17—09—1995 से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करा ली है। कथित नामान्तरकरण बिना किसी अधिकार के होकर वादिया के मुकाबले शून्य व बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने से उसके द्वारा आराजी नंबर 3121 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 22—08—2008 को नुमाईशी विक्रय कर दी, क्योंकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा नहीं होकर 1/4 हिस्सा ही है इसलिए उसे हिस्से से अधिक भूमि विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार आराजी नंबर 3121 व 3122 में से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्यास 4 को दिनांक 03—09—2009 को विक्रय कर दिया, लेकिन आराजी नंबर 3122 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा हटा दिया गया है व उसके बजाय प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम अंकित कर दिया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 के नाम अंकित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी नंबर 3122 से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं वादी के नाम 1/4 हिस्सा अंकित कराया जाना चाहिए। शेष आराजी नंबर 3123, 3124 व 3141 कुल किता 3 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा अंकित है, जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा

व वादीया का 1/4 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकन कराया जाना आवश्यक है। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात में वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 09–12–2015 को उनके जवाबदावे बन्द किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा वादिया की साक्ष्य लेकर दिनांक 01–07–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर तथा उभयपक्षों को सुनने के बाद वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01–07–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जो विचाराधीन था। अपीलान्ट के वकील ने आवेदन खारिज होने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी। अपीलान्ट समझता रहा कि उसका दावा अभी चल रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व अन्य भू–माफिया जब कब्जा करने आये तो अपीलान्ट द्वारा अपने वकील से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतएवं मयान कण्डोन की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसे निर्णय की जानकारी नहीं था, जबकि वास्तविकता यह है कि उसे सम्पूर्ण वस्तु स्थिति की जानकारी थी, इसके बावजूद उसके द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। मयाद कण्डोन के आवेदन में मिथ्या व झूठे तथ्य अंकित किये हैं।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ उपखण्ड अधिकारी

मावली के आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय दिनांक 06–10–2017 की प्रमाणित प्रति तथा जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रस्तुत की।

→ उक्त आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी मावली का निर्णय दिनांक 06–10–2017 प्रमाणित प्रति होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तथा जमाबनदी मात्र फोटो प्रति होने से उसे रेकार्ड पर नहीं रखा जा सकता।

उक्त आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 06–10–2017 से यह सुस्पष्ट है कि मूलवाद के प्रकरण संख्या 95/2014, जिसका निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–07–2016 को किया गया है, उसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन पेश किया गया है, जो दिनांक 06–010–2017 को खारिज किया गया है। अर्थात प्रकरण में मूलवाद में निर्णय दिनांक 01–07–2016 को किया गया है तथा उक्त निर्णय की एकतरफा डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दिनांक 06–10–2017 को खारिज किया गया है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06–10–2017 की जानकारी प्रतिवादी/अपीलान्ट को होना सुस्पष्ट रूप से आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन लगाते समय अवश्य थी तथा यह माना भी जाये कि मयाद आदेश 9 नियम 13 जा.दी. से प्रारम्भ होती है तो भी दिनांक 06–10–2017 को तो अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी आवश्यक रूप से हो चुकी थी तथा उसके भी करीब 5 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन में आवेदन में जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। क्योंकि मूलवाद में यदि अपीलान्ट/प्रतिवादी प्रकरण में पैरवी नहीं कर पाया तो आदेश 9 नियम 13 के निर्णय के 7 माह तक भी वह मौन रहा तथा सारा दोषारोपण अपने अधिवक्ता पर मढ़ रहा है जो उचित नहीं है। उक्त 5 माह के विलम्ब का कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गोद पुत्र होने के आधार पर तथा नारायण का क्रिया कर्म करने के आधार पर अपना स्वत्व बताता है, जबकि वादिया नारायण की पुत्री

नहीं हो इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किया जाकर वादिया को खातेदार घोषित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

सवला पिता रोडा गाडरी, निवासी बका मगरी, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर	बनाम	**धूली पिता नारायण पत्नी बालूराम नि0 बका मगरी, डबोक, तहसील मावली जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**51/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**मावली**.......... मुकाम................मुवर्खे............**01**...............माह..............**07**.............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**30**.....माह........**08**.......सन् **2018** रूबरू......**पक्षकारान**
व हाजरी.......**श्री चन्द्रशेखर आमेटा**.......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री मानाराम डांगी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**30**......माह.......**08**...........**2018**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।